# ...लय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

| ...म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज<br>कान्हाराम बनाम मूलचन्द वगै.<br>मु. सं. 91/2024 (प्रा०पत्र) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं० 3 की तलबी कराने पर तामिल हुई। अप्रार्थी सं० 1 व 2 उपस्थित। इनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें एतराज किया एवं विधिवत बंटवारा कराने का भी निवेदन किया।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073-76 व 2074-77 का अवलोकन किया और पाया कि आराजी उभय पक्ष की सहखातेदारी की आराजी है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर बेचान कर देंगे जिससे प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी जो बखूबी प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम हासिलपुर तहसील महवा की आराजी 257, 264/287 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है० एवं ग्राम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी ख० नं० 1229 रकबा 0.23 है० में प्रार्थी के हिस्सा तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद शामिल रहे। आदेश सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner